

**राजस्थान सरकार**  
**परिवहन विभाग**

सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/13ए

जयपुर, दिनांक:-31.3.2000

**अधिसूचना**

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/13 दिनांक 31.3.97 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, इसके द्वारा, 1.4.2000 से, इसके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ सं. 2 में विनिर्दिष्ट प्राइवेट सेवा यानों पर विशेष सड़क कर की दर, उसके स्तम्भ सं. 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर विहित करती है:-

क्र.सं. 1	परिवहन यान का वर्णन 2	कर की वार्षिक दर 3
1-	प्राइवेट सेवा यान :	
(i)	ड्राइवर सहित 12 तक की सीट क्षमता वाले	यान की लागत का 3.0 प्रतिशत
(ii)	ड्राइवर सहित 12 से अधिक और ड्राइवर सहित 40 तक की सीट क्षमता वाले :	
	(क) चैसिस के रूप में खरीदे गये	चैसिस की लागत का 5.0 प्रतिशत
	(ख) बॉडी सहित खरीदे गये	यान की लागत का 3.0 प्रतिशत
(iii)	ड्राइवर सहित 40 से अधिक की सीट क्षमता वाले	
	(क) चैसिस के रूप में खरीदे गये	चैसिस की लागत का 6.0 प्रतिशत
	(ख) बॉडी सहित खरीदे गये	यान की लागत का 4.0 प्रतिशत

**टिप्पणी :**

किसी मोटर यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाले स्वामी या व्यक्ति द्वारा, इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, कोई भी ऐसा कर या शास्ति, जो राजस्थान वित्त अधिनियम, 1997 के अध्याय-V के उपबन्धों के अधीन जारी की गयी, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी कालावधि के लिये इस अधिनियम के अधीन संदेय थी, ऐसी दरों पर संदत्त की जायेगी जो समय-समय पर ऐसे यानों पर लागू थीं, संदत्त की जायेगी।

**स्पष्टीकरण:**

कर की संगणना के लिये, यान/चैसिस की "लागत" वह होगी जो राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 42 के अधीन स्पष्ट की गयी है।

**राज्यपाल के आदेश से,**  
**शासन उप सचिव**